राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX, 2385877 Help Line)

क्रमांकः रालस/2015/09 दिनांक :- 18.03.2015

परिपत्र

यौनकर्मियों के कल्याण के लिये बनी योजनाओं के कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

हमारे देश में आजादी के 68 साल बाद भी समानता व समाजवाद की संकल्पना चरितार्थ नहीं हो पाई है । समाज में भारी आर्थिक असमानता, गरीबी एवं अशिक्षा व्याप्त है । इन हालात में कुछ महिलायें परिवार पालन के लिये अपना शरीर बेचने पर विवश हैं । पाश्चात्य संस्कृति के अन्धानुकरण के चलते समाज के तथाकथित अभिजात्य वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक यौन कर्मियों के छोटे छोटे समूह देखे जा सकते हैं । इन यौनकर्मी समूहों से आपराधिक प्रकृति के लोग भी जुडे हुये हैं जो इस कार्य के लिये बच्चियों व महिलाओं की खरीद फरोख्त में लिप्त हैं । कई बार इस कार्य के लिये बच्चियों व महिलाओं के अपहरण की घटनायें भी सामने आती रहती हैं । यह स्थिति सभ्य समाज के लिये एक कलंक है जिसे दूर करने के लिये चौतरफा प्रयास करना समय की मॉग है ।

यद्यपि वैश्यावृत्ति के लिये महिलाओं के अपहरण या खरीद फरोख्त को रोकने व दण्डित करने के पर्याप्त कठोर कानून मौजूद हैं । समाज के कमजोर वर्गो के पुर्नवास एवं कल्याण के लिये कई योजनायें बनी हुई हैं लेकिन कानूनी सलाह एवं कानूनी सहायता के अभाव में वे इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं ।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार विधिक सेवा संस्थाओं का दायित्व है कि समाज के कमजोर वर्गो को निशुल्क विधिक सलाह एवं विधिक सहायता प्रदान की जावे । राष्ट्रीय विधिक

सेवा प्राधिकरण से भी इन वर्गो के कल्याण हेतु काम करने के लिये निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, अतः इन कानूनी दायित्वों के निर्वहन के क्रम में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार निम्न दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं :–

<u>योंनकर्मियों के कल्याण के लिये बने कानून व योजनाओं का सघन प्रचार प्रसार :–</u>

सभी अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने अपने न्यायक्षेत्र में विधिक जागरूकता टीम (दो पैनल लॉयर व दो पैरा लीगल वालेन्टियर) को निर्देशित करेंगे कि वे योंनकर्मियों की सम्भावित बस्ती में व आसपास समय समय पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करें और उन्हें उनके कल्याण के लिये बने कानून व योजनाओं की जानकारी दें, उनकी शंकाओं व जिज्ञासाओं का समाधान करें । उनके कल्याण के लिये बनी योजनाओं का लाभ दिलाने में आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने में उनकी मदद करें ।

<u>जबरन वैश्यावृत्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही हेतु कानूनी सलाह व सहायता :–</u>

विधिक जागरूकता टीम विधिक साक्षरता शिविर के दौरान यह भी जानकारी देगी और इस आशय के पम्फलेट भी वितरित करेगी कि वैश्यावृत्ति करना व कराना, वैश्यावृत्ति के लिये महिलाओं का अपहरण एवं खरीद फरोख्त करना संज्ञेय व गैर जमानतीय अपराध हैं जिनके लिये कठोर दण्ड के प्रावधान हैं ।

यदि विधिक साक्षरता शिविर के दौरान या अन्यथा विधिक जागरूकता टीम को उपरोक्त प्रकृति के अपराधों की पुख्ता जानकारी मिले या जबरन वैश्यावृत्ति के लिये अपहृत या बन्धक बनाकर रखे गये व्यक्ति की जानकारी मिले या किसी पीडित योंनकर्मी द्वारा उनसे मदद की गुहार की जावे तो वे तुरंत सम्बंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायेंगे । उन्हें मुक्त कराने में मदद करेंगे । चालान होने पर उनकी ओर से पैरवी करने हेतु

विधिक सहायता दिलाने के लिये सम्बंधित अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुरोध करेंगे ।

<u>वैश्यावृत्ति के लिये बन्धक बनाकर रखे गये बच्चों व महिलाओं के मुक्त कराने पर उनके पुनर्वास व प्रतिकर की व्यवस्था :–</u>

इलेक्ट्रोनिक/प्रिन्ट मीडिया से या अन्यथा वैश्यावृत्ति के लिये जबरन बन्धक बनाकर रखे गये बच्चों या महिलाओं को मुक्त कराने की सूचना मिलते ही अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्थानीय विधिक जागरूकता टीम को तुरंत मौके पर भेजेंगे । विधिक जागरूकता टीम के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि जबरन वैश्यावृत्ति के सम्बन्ध में पुलिस में मुकदमा दर्ज किया जावे, साथ ही मुक्त कराये गये लोगों का पुर्नवास किया जावे । उनका नाम पता, फोटो व विवरण सुरक्षित रखा जावे । उसी समय राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम, 2010 के अन्तर्गत उनके पुर्नवास हेतु एक लाख रूपये तक की राशि प्रतिकर के रूप में दिलाने हेतु सम्बंधित थाना प्रभारी को धारा 357 (ए) 6 द0प्र0सं0 व राजस्थान प्रतिकर स्कीम के अनुच्छेद 5 (7) के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी कराने की कार्यवाही की जावे ताकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अंतरिम प्रतिकर राशि की अदायगी की जा सके ।

<u>यौनकर्मियों के कल्याण के लिये बनाई गई अन्य योजनाओं का कियान्वयन :–</u>

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुद्धदेव करमास्कर बनाम स्टेट आफ पश्चिमी बंगाल क्रिमिनल अपील संख्या 135/2010 में समय समय पर जारी आदेशों में यौनकर्मियों को निशुल्क विधिक सलाह व विधिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश प्रदान किये हैं जिनकी भी सम्बंधित विधिक जागरूकता टीम के माध्यम से कराई जावे । इसके अलावा योजनाओं के कल्याण के लिये बनी सरकारी यौनकर्मियों का लाभ दिलाने में भी आवश्यक सहायता प्रदान की जावे ।

विधिक जागरूकता टीम का मानदेय :–

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक 8873–8790 दिनांक 2.7.2012 के अनुसरण में उपरोक्त कार्यो के लिये प्रतिदिन के हिसाब से विधिक जागरूकता टीम के पैनल अधिवक्ता को 500/रूपये व पैरा लीगल वोलियेन्टर को 250/रूपये मानदेय प्रदान करें साथ ही उनके द्वारा वाहन की व्यवस्था किये जाने पर 6/रूपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आवागमन पर खर्च की गई राशि का भी भुगतान करें । मानदेय का भुगतान करने के पूर्व सम्बंधित ग्राम पंचायत के सरपंच ,वार्ड, पार्षद, व सम्बंधित सार्वजनिक स्थल के प्रभारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त करें :–

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विधिक जागरूकता टीम के सदस्य गण

1.....2.....3.....4.....ने.....

.....स्थान का नाम उपस्थित हुए और उन्होंने कुल लोगों को उनके अधिकारों एवं कल्याणकारी योजनाओं के सम्बंध में जानकारी एवं कानूनी सलाह/सहायता प्रदान की ।

विधिक सेवा के एक लिपिक से संलग्न प्रारूप में रजिस्टर का संधारण कराया जायेगा और इस प्रारूप में प्रत्येक माह की 15 तारीख तक पूरे जिले की मासिक रिपोर्ट भिजवाई जायेगी जिसे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।

इस परिपत्र में अंकित कानून व योजनाओं के अलावा अपने विवेकानुसार योनकर्मियों के कल्याण के लिये वर्तमान में प्रभावी अन्य योजनाओं व भविष्य में आने वाली अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन में विधिक सेवा संस्थाओं के योगदान में कोई कमी नहीं रहे ।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(सतीश कुमार शर्मा)

सदस्यसचिव

प्रफोर्मा

क0सं0	विधिक जागरूकता टीम के सदस्यगण के नाम	निरीक्षण की दिनांक व समय	विधिक साक्षरता टीम द्वारा किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण	विधिक साक्षरता टीम के सदस्यों को दिये गये मानदेय की राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6